न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)
पीठासीन अधिकारी :–महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
111 / 2022	26.03.2024	04.12.2024

उनवान

1. इन्द्राजसिंह पुत्र श्री भूपसिंह जाति अहीर निवासी माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ (राज0)

:–वादी।

बनाम

1. चितरंजन पुत्र श्री सुबेसिंह
2. आरती पत्नी श्री सुबेसिंह जातियान अहीर निवासीयान माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़
3. उप पंजीयक महोदय नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड

............असल प्रतिवादीगण

5. अर्जुन पुत्र श्री राम जाति अहीर निवासी माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड।
6. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज0

.......तरतीबी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः– 1 श्री मुकेश कुमार एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण असल की ओर से इकबाल जवाब दावा।

–::निर्णय::–

पत्रावली पेश हुई। दावा के सूक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः–

1. वादी ने वाद पेश कर निवेदन किया कि साबिक ख0न0 966 मिन रकबा 1 बिघा 2 बिसवा जिसके हाल ख0न0 1309 रकबा 10 ऐयर, 1310 रकबा 15 ऐयर व साबिक ख0न0 895 मिन रकबा 8 बिसवा जिसका हाल ख0न0 1314 रकबा 8 ऐयर, 1318 रकबा 5 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना वादी व तरतीबी संख्या 5 के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी भूमि है साबिक रिकॉर्ड व रकबा के अनुसार मौके पर काबिज काश्त है। असल प्रतिवादी संख्या 1,2 के कब्जा काश्त खातेदारी की आराजी जिस पर वे काबिज काश्त है तथा बुर्जगों के समय से कायम डोल आज भी मौके पर स्थिति है। भू–प्रबंधक विभाग द्वारा साबिक ख0न0 966 मिन रकबा 1 बिघा 2 बिसवा के हाल ख0न0 1309 रकबा 10 ऐयर, 1310 रकबा 15 ऐयर कायम किया है जबकि 1 बीघा 2 बिसवा का मैटरिक प्रणाली के अनुसार 28 ऐयर रकबा बनना चाहिए था लेकिन भू–प्रबधन्क विभाग द्वारा हाल नम्बरान कायम करते समय रकबा 3 ऐयर कम दर्ज कर दिया जो खिलाफ मौका व खिलाफ कब्जा के है इसी प्रकार साबिक ख0न0895 मिन रकबा 8 बिसवा का हाल ख0न0 1314 रकबा 8 ऐयर, 1318 रकबा 5 ऐयर कायम करते हुए 3 ऐयर रकबा अधिक दर्ज कर दिया जबकि मैटरिक प्रणाली के अनुसार 8 बिसवा का रकबा 10 ऐयर बनना चाहिए था भू–प्रबधन्क विभाग द्वारा उक्त इन्द्राज खिलाफ मौका एवं खिलाफ कब्जा के किया गया है जबकि आराजी विवादित के मध्य बुर्जुगांन के समय से डोल कायम है इस प्रकार वादीगण के साबिक रकबे के अनुसार हाल रिकॉर्ड में रकबा कम दर्ज कर दिया गया व प्रतिवादी संख्या असल 1,2 की खातेदारी में साबिक रिकॉर्ड के अनुसार रकवा अधिक दर्ज कर दिया गया। भू–प्रबधन्क विभाग द्वारा की गई उक्त गलती की जानकारी वादीगण को अब हुई है इसलिए वादीगण को यह वाद पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्तः में वादी ने अपने वाद को निम्न प्रकार डिक्री किए जाने की प्रार्थना की हैः–

(क) डिक्री इस्तकरार हक दुरूस्ती इन्द्राज बहक वादी विरूद्ध असल प्रतिवादी संख्या 1,2 इस अमर की सादीर अता फरमायी जावे कि आ0ख0न0 साबिक 966 मिन रकबा 1 बीघा 2 बिसवा का हाल ख0न0 1309,1310 कुल किता 2 कुल रकबा 25 ऐयर बनाते समय 3 ऐयर रकबा वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 5 का कम कर दिया एवं ख0न0 साबिक 895 मिन

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)

रकबा 8 बिस्वा का हाल ख0न0 1314,1318 कुल किता 2 कुल रकबा 13 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां बनाते समय प्रतिवादी संख्या 1,2 की खातेदारी में 3 ऐयर रकबा बढा दिया जो खिलाफ मौका, खिलाफ कब्जा, खिलाफ साबिक, खिलाफ रिकॉर्ड है तथा प्रतिवादी संख्या 1,2 ने इस गलत इन्द्राज की आड में प्रतिवादी संख्या 6 से ऋण उठा लिया जो प्रतिवादी संख्या 1,2 की अन्य हक व हिस्से की जमीन पर उक्त आराजी के ऋण भार को समायोजित करे तथा मुताबिक साबिक रिकॉर्ड व कब्जा के दुरूस्ती की जाकर ख0न0 हाल 1314 रकबा 08 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां तह0 नीमराना में से 03 रकबा कम किया जाकर 08 ऐयर के स्थान पर 05 ऐयर अंकित किया जावे तथा ख0न0 हाल 1309 रकबा 10 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां में 03 ऐयर रकबा बढाया जाकर 10 ऐयर के स्थान पर 13 ऐयर रकबा अंकित किया जावे। तथा इसी प्रकार से राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे।

(ख) उक्त डिकी हुक्म इम्तनाई दवामी बहक वादीगण विरूद्व असल प्रतिवादी इस अमर की सादीर अता फरमायी जावे कि आराजी ख0न0 हाल 1309,1310 वाके ग्राम माजरी कलांक में वादी व तरतीबी प्रतिवादी संख्या 05 की एवं ख0न0 1314,1318 वाके ग्राम माजरी कलां असल प्रतिवादी संख्या 1,2 के कब्जा काश्त की आराजी जो वादी की जमीन का 03 ऐयर रकबा प्रतिवादी संख्या 1,2 वादी की 03 ऐयर रकबा से बेदखल नहीं करे ना ही वादी को मुताबिक साबिक रिकॉर्ड के बेदखल नही कर ना ही कब्जा काश्त में बाधा कारित नहीं करे तथा प्रतिवादी संख्या 1,2 इस गलत इन्द्राज की आड में ख0न0 1314,1318 को बेचान व मुन्तकिल नहीं करे ना ही करवाये तथा प्रतिवादी संख्या 3,4 को पाबन्द किया जावे कि विवादित आराजी के बाबत कोई दस्तावेज तस्दीक व पंजिबद्व नहीं करे ना ही करवाये रिकॉड में परिवर्तन करे मौके एवं रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

(ग) खर्चा मूकदमा वादी को प्रतिवादी संख्या 1,2 से दिलवाया जावे।

(घ) अन्य अनुतोष जो श्रीमान जी उचित समझे सादीर अता फरमाया जावे।

दावा प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। बाद तामिल प्रतिवादी असल संख्या 1 व 2 ने इकबाल जवाब दावा पेश कर वादी के वाद को स्वीकार किया तथा वादी के वाद को डिकी किये जाने की सहमति वयक्त की।

इकबाल जवाब दावा पेश होने पर वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि भू-प्रबधन्क विभाग द्वारा साबिक खसरा नम्बरान के हाल खसरा नम्बरान कायम करते समय वादीगण का रकबा कम दर्ज कर दिया एवं प्रतिवादीगण का रकबा बेसी दर्ज कर दिया गया। वादी द्वारा अपने वाद की ताईद में साबिक व हाल रिकॉंर्ड पेश किया है एवं प्रतिवादीगण ने वादी के वाद को अक्षरः से स्वीकार किया है वादी का वाद डिकी फरमाया जावै।

हमने वकील वादी की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4 के अवलोकन से साबित है कि साबिक ख0न0 966 रकबा 1 बीघा 2 बिसवा से हाल खसरा नम्बर 1309 रकबा 10 ऐयर व 1310 रकबा 15 ऐयर कायम किया गया है इस प्रकार हाल ख0न0 का कुल 25 ऐयर रकबा दर्ज किया गया है जबकि मैटरिक प्रणाली के अनुसार 1 बीघा 2 बिसवा का रकबा 0.27.5 दर्ज होना चाहिए था यानि की इस साबिक ख0न0 का हाल ख0न0 में रकबा कम दर्ज किया गया है इसी प्रकार साबिक ख0न0 895 रकबा 8 बिसवा से हाल ख0न0 1314 रकबा 8 ऐयर व 1318 रकबा 5 ऐयर कायम किया गया है इस प्रकार हाल ख0न0 में कुल रकबा 13 ऐयर दर्ज किया गया है जबकि साबिक रकबा 8 बिसवा का मैटरिक प्रणाली के अनुसार 10 ऐयर रकबा दर्ज होना चाहिए था इस प्रकार यह तथ्य साबित है कि भू-प्रबंध विभाग द्वारा इन साबिक नम्बरान हाल नम्बरान कायम करते समय वादीगण का रकबा 3 ऐयर रकबा कम दर्ज किया गया है तथा प्रतिवादीगण का रकबा 3 ऐयर साबिक रिकॉर्ड के अनुसार अधिक दर्ज किया गया है जबकि भू-प्रबंध विभाग द्वारा साबिक रिकॉर्ड के अनुसार ही हाल रकबा दर्ज किया जाना चाहिए था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी संवत 2029 के अनुसार ख0न0 966 के भूपसिंह पुत्र रामजीलाल 2/3 हिस्सा व रामू पुत्र खेमराम 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है वादी द्वारा प्रस्तुत साबिक व हाल रिकॉर्ड से वादीगण का वाद बखुबी साबित होता है। वादी का वाद जरिये इकबाल जवाब दावा डिकी किये जाना कानून संगत व न्यायेचित प्रतित होता है।

अतः आदेश है कि:-

वाद वादी बहकवादी व तर0प्रति विरूद्व प्रतिवादीगण असल संख्या 1,2 बरूवे इकबाल जवाब दावा डिकी किये जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 1309,1310 वाके ग्राम माजरी कलां का भू-प्रबंध विभाग द्वारा कुल रकबा 25 ऐयर दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त किया

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड)

जाकर 0.27 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा हाल खसरा नम्बर 1314 रकबा 8 ऐयर व 1318 रकबा 5 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा 13 ऐयर में से 3 ऐयर कम किया जाकर उसे 10 ऐयर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में बाद दुरूस्ती अमल दरामद किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना–अपना वहन करेंगे। पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

नोट:- आदेश में रकबा 0.27 के स्थान पर 0.28 पढ़ा जावे।

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपुतली-बहरोड़)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली—बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :—महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	निर्णय दिनांक
111 / 2022	26.03.2024	04.12.2024

उनवान

1. इन्द्राजसिंह पुत्र श्री भूपसिंह जाति अहीर निवासी माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड़ (राज0)

:—वादी।

बनाम

1. चितरंजन पुत्र श्री सुबेसिंह
2. आरती पत्नी श्री सुबेसिंह जातियान अहीर निवासीयान माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड़
3. उप पंजीयक महोदय नीमराना तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड
4. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड

............असल प्रतिवादीगण

5. अर्जुन पुत्र श्री राम जाति अहीर निवासी माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड।
6. बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा माजरी कलां तह0 नीमराना जिला कोटपूतली—बहरोड़ राज0

.......तरतीबी प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88,89,188 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम।

उपस्थितीः— 1 श्री मुकेश कुमार एड0 वादी की ओर से।
2 प्रतिवादीगण असल की ओर से इकबाल जवाब दावा।

दिनांक 04.12.2024

—:पर्चा डिक्री:—

वाद वादी बहकवादी व तर0प्रति विरूद्ध प्रतिवादीगण असल संख्या 1,2 बरूवे इकबाल जवाब दावा डिक्री किये जाकर आराजी खसरा नम्बर हाल 1309,1310 वाके ग्राम माजरी कलां का भू—प्रबंध विभाग द्वारा कुल रकबा 25 ऐयर दर्ज किया गया है उसे दुरूस्त किया जाकर 0.27 दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा हाल खसरा नम्बर 1314 रकबा 8 ऐयर व 1318 रकबा 5 ऐयर वाके ग्राम माजरी कलां के हाल राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रकबा 13 ऐयर में से 3 ऐयर कम किया जाकर उसे 10 ऐयर दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। तदानुसार ही राजस्व रिकॉर्ड में बाद दुरूस्ती अमल दरामद किये जाने के आदेश दिए जाते हैं। खर्चा फरीकेन अपना—अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल लेख भण्डार हो।

यह निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय मे घोषित किया गया।

महेन्द्रसिंह यादव (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली—बहरोड़)

नोट रकबा 0.27 के स्थान पर 0.28 पढ़ा जावे

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली—बहरोड़)